राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत लगाये पाबंदी आदेश
वैध पहचान पत्र के बिना मोबाईल कनेक्शन नहीं दिये जाएं

जयपुर, 11 जनवरी। विभिन्न सैल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स व सब रिटेलर्स और दुकानदारों को बिना ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना सिम कार्ड, सैल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन नहीं दिये जाएं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण, श्री मनोज चौधरी द्वारा जयपुर दक्षिण क्षेत्र में लोक–शांति एवं लोक–व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में यह कहा गया है कि विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स एंव सब–रिटेलर्स द्वारा दूसरो के नाम से व छद्म नाम के कूटरचित पहचान–पत्रो के आधार पर भी बिना भैतिक सत्यापन के मोबाईल कनेक्शन व सिम कार्ड जारी किये जा रहे है। इन कम्पनियो से समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी व आंतकवादी तत्वों द्वारा अपने आपराधिक मंसूबों की पूर्ति हेतु कनेक्शन व सिम कार्ड प्राप्त कर इनका प्रयोग अवाछित कार्यो व अपराधों मे करने की आसूचानाये भी प्राप्त हुई है। कूटरचित पहचान– पत्रो के आधार पर दूसरों के नाम से व छद्म नाम जारी सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन व सिम का प्रयोग आतंकवादी वारदातो को अजांम देने मे भी किये जाने की पूर्ण संभावना है।

इसे देखते हुए ही धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स एंव सब–रिटेलर्स एंव ऐसे दूसरे सभी दुकानदारो को पाबन्द किया गया है कि ग्राहक को वैध पहचान तथा पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना कोई सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन व सिम कार्ड जारी नही करेगें। रिटेलर्स, सब रिटेलर्स एंव ऐसे दुकानदार द्वारा बेची गई सिम कार्ड की कम्पनी का नाम आई.डी. नम्बर सहित सिम कार्ड के क्रेता का पूर्ण विवरण नाम पिता का नाम पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता बेसिक फोन नम्बर पूर्व मे प्रयोग किये जा रहे सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन नक्बर तथा सिम जारी करने के लिये प्राप्त दस्तावेजो की पूर्ण सूचना रखेगें। समस्त सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियां अपना सेल्यूलर मोबाईल फार्म नक्बर व सिम जारी करने का रिकार्ड हमेशा के लिये तथा रिटेलर्स व सब रिटेलर्स एंव दुकानदार प्रीपेड/ पोस्टपेड मोबाईल कनेक्शन की बिक्री की दैनिक सूचना रजिस्टर मे संधारित कर 05 साल तक उक्त रिकार्ड को सुरक्षित रखेंगे तथा जॉच ऐजेन्सियो द्वारा मांगने पर उक्त रिकार्ड को अविलम्ब उपलब्ध करवायेगे।

आदेशों में विदेशी नागरिको को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आई.डी. पर ही देने तथा वह विदेशी नागरिक जिस होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला इत्यादि मे रूका हुआ है उसकी भी आई.डी. प्रुफ लेने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 7 जनवरी 2018 को प्रातः 10 बजे से 6 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

पुलिस सत्यापन के बिना घरेलू नौकर, चौकीदार, ड्राइवर आदि न रखे जाएं

जयपुर, 11 जनवरी। बिना पुलिस सत्यापन करवाये व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखे जाएं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दक्षिण, श्री मनोज चौधरी द्वारा जयपुर दक्षिण क्षेत्र में लोक–शांति एवं लोक–व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के तहत ऐसे व्यक्ति व संस्थायें जो घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि रखते हैं, उन्हें पुलिस सत्यापन करवाये बिना व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखने के निर्देश दिये गये हैं।

आदेश के अनुसार मकान मालिक, संस्थाओं, दुकानदारों को घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि रखे जाने पर उनका फोटो सहित पूर्ण विवरण– नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिन्ह (हुलिया), पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर/सेल्यूलर मोबाइल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचान कर्ता व मूल निवास का पहचान कर्ता का टेलिफोन/मोबाईल न0 सहित नाम व पता का विवरण अपने पास रखना होगा। इसके साथ ही नौकर, चौकीदार, सेल्समेन के स्थानीय जमानती/रिश्तेदार/जानकार का टेलिफोन/मोबाईल न0 सहित नाम व पता का विवरण, पिछले पाँच सालों में जहाँ निवास व नौकरी की गई वहाँ के मालिक का नाम व पता, अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणिक पहचान–पत्र की प्रतियाँ इत्यादि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखनी होगी तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करना होगा। आदेश में इन सूचनाओं के साथ ही इनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी तत्काल संबंधित पुलिस थानें में देनी होगी।

इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 7 जनवरी 2018 को प्रातः 10 बजे से 6 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

राजस्थान सरकार
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

रैली, धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस पर रोक

जयपुर, 11 जनवरी। राजस्थान विधानसभा भवन के चारो तरफ, जनपथ एवं सिविल लाईन्स क्षेत्र में रैली, धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस पर रोक रहेगी।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दक्षिण श्री मनोज चौधरी ने धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एक आदेश जारी कर बताया कि स्टेच्यू सर्किल से विधान सभा तक के जनपथ, विधान सभा भवन के चारों तरफ, सचिवालय, तिलक मार्ग, वानिकी पथ ,सहदेव मार्ग, सिविल लाईन्स रेलवे क्रोसिंग से राजभवन सर्किल तक एवं राजभवन सर्किल से राममन्दिर सर्किल, हवा सड़क, रामनगर चौराहा, राजभवन सर्किल से अजमेर रोड़ टी पाइन्ट होते हुये नाटाणियों का चौराहा अजमेर रोड़ सिविल लाईन्स रेलवे क्रोसिंग पानी की टंकी तक के क्षेत्र में सड़क व फुटपाथों का क्षेत्र प्रतिबंध में शामिल है ।

इन क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं होंगे और धरना, जुलूस, रैली, आमसभा एवं प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति नारे एवं ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, धारदार या अन्य धातक हथियार लाठी, ईंट ,पत्थर, डंडा आदि लेकर नहीं चलेगा और कोई भी व्यक्ति अवांछित व्यक्तियों, अजनबियों व उत्पात करने वालों को आश्रय नही देगा। जुलूस व प्रदर्शन में भाग ले रहे व्यक्तियों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने की इच्छा व्यक्त करने पर महामहिम की अनुमति या स्वीकृति के पश्चात चार व्यक्तियों का शिष्टमंडल उपरोक्त प्रतिबंधो का पालन करते हुये ज्ञापन दे सकेगा।

इस आदेश का उल्लंधन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, मृत्यु संबंधी संस्कारों एवं धार्मिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा बशर्ते कि इनमें नारेबाजी व भड़काने जैसा कार्य नहीं हो।

यह आदेश 7 नवम्बर 2017 को प्रातः 10 बजे से 5 जनवरी 2018 की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

पुलिस सत्यापन के बिना निजी छात्रावास में छात्र न रखे जाएं

जयपुर, 11 जनवरी। बिना पुलिस सत्यापन करवाये व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना शहर के किसी भी निजी छात्रावास में छात्र नहीं रखे जाएं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण, श्री मनोज चौधरी द्वारा जयपुर दक्षिण क्षेत्र में लोक–शांति एवं लोक–व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के तहत ऐसे व्यक्ति व संस्थायें जो निजी छात्रावासों में छात्र रखते है, को पाबन्द किया जाता है कि निजी छात्रावासों में ऐसे किसी छात्र का किरायेदार की हैसियत से उनका पूर्ण प्रमाणिक व्यक्तिगत विवरण व पुलिस सत्यापन करवाये बिना नही रखेंगे। छात्र का फोटो सहित पूर्ण विवरण यथा नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, हुलिया, वर्तमान व स्थाई पूर्ण पता, भाषा, बेसिक टेलीफोन नम्बर/ सेल्यूलर मोबाईल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थाई पहचानकर्ता व मूल निवास का पहचानकर्ता के बेसिक टेलीफोन नम्बर, मोबाईल फोन नम्बर सहित पूर्ण नाम व पता, अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणिक पहचान पत्र की प्रतियां इत्यादि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखेंगे तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त सूचनाओं के साथ ही इनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने में देनी होगी।

इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 7 जनवरी 2018 को प्रातः 10 बजे से 6 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

लिखित अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन नही किया जाएं

जयपुर, 11 जनवरी। लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संगठन को धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नहीं किये जाने के निर्देश दिये हैं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण, श्री मनोज चौधरी द्वारा जयपुर दक्षिण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि जयपुर महानगर में विभिन्न राजनैतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं तथा किसान, मजदूर, छात्र, युवा, व्यापारी संगठनों आदि के द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा इत्यादि का आयोजन किया जाता है। जिसमें भारी संख्या में जनसमुदाय की सहभागिता रहती है। ऐसे आयोजनों में कई बार जिला प्रशासन को केवल सूचना प्रदान की जाती है और अनेक अवसरो पर बिना अनुमति या सूचना के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लिए जाते है। ऐसे कार्यक्रमों से नगरीय जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है तथा विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं, रोगियों तथा जन साधारण को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बिना सूचना एवं अनुमति के आयोजन करने की स्थिति में मौके पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाना भी कठिन होता है। जिसकी वजह से किसी अवांछनीय घटना के घटित होने की संभावना बनी रहती है।

इसे देखते हुए ही दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) के क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त दक्षिण/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संगठन धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नही करेंगें एवं इस हेतु उन्हें आयोजन की तिथि से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। यह प्रतिबंध विवाह समारोह, मृत्यु संबंधी संस्कारों, परम्परागत धार्मिक या सांस्कृतिक शोभायात्राओं, विभिन्न राष्ट्रीय पर्वो से संबधित राजकीय समारोह एवं शिक्षा साक्षरता, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से संबधित राजकीय आयोजनों पर लागू नही होगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 7 जनवरी 2018 को प्रातः 10 बजे से 6 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

होटल, धर्मशाला आदि में ठहरने वालों के संबंध में हो सूचनाओं का संधारण

जयपुर, 11 जनवरी। शहर के होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने, सराय, गेस्ट हाउस मालिकों को अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों एवं अन्य व्यक्तियों के संबंध में वास्तविक सूचनाएं संधारित की जाएं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण, श्री मनोज चौधरी द्वारा जयपुर दक्षिण क्षेत्र में लोक–शांति एवं लोक–व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के तहत दक्षिण क्षेत्र में स्थित किसी भी होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने, सराय, गेस्ट हाउस इत्यादि में ठहरने वाले पर्यटकों एवं अन्य व्यक्तियों के ठहरने पर मालिकों को रजिस्टर में उनसे संबंधित समस्त सूचनाएं संधारित करने, ठहरने वालों से पहचान कार्ड से संबंधित दस्तावेज की एक प्रति लेने, उनके टेलिफोन नम्बर या मोबाईल नम्बर का इन्द्राज करने तथा वाहन लाने पर वाहनों के नम्बर आदि का इन्द्राज सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं। सम्पूर्ण दक्षिण जयपुर क्षेत्र में स्थित घरों में पेईंगगेस्ट रखने वाल ऐसे गृह स्वामी भी उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेगें। सूचनाएं संधारित करने के साथ ही कम से कम दो वर्ष तक उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिये हैं।

इस आदेश का व्यतिक्रम या अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दंड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार दंडनीय अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 7 जनवरी 2018 को प्रातः 10 बजे से 6 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।